



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052023-245999
CG-DL-E-23052023-245999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]
No. 311]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2023/ज्येष्ठ 2, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2023/JYAISHTHA 2, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 मई, 2023
सं. 38/2023- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 383(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 62/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 जिसे संख्या सा.का.नि. 904(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

I. तालिका II में,-

- क्र.सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- क्र.सं. 7 के समक्ष, कॉलम (2) और कॉलम (3) में प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः "27011210" और "सभी वस्तुएं" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7क	27011290	सभी वस्तुएं	0	1.5
7ख	27011910	सभी वस्तुएं	0	0".

II. तालिका IV में, -

- (i) क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) और कॉलम (3) में प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः "52010024, 52010025" और "न्यूनतम 28 मिमी स्टेपल लंबाई का कपास" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/62/2023-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना सं. 62/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को सा.का.नि. 904(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 36/2023-सीमाशुल्क, दिनांक 29 अप्रैल, 2023, सा.का.नि. 333(अ), दिनांक 01 मई, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2023

No. 38/2023-Customs

G.S.R. 383(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 62/2022-Customs, dated the 26th December, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 904(E), dated the 26th December, 2022, namely :-

In the said notification,

I. in Table II, -

- (i) S.No. 6 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) against S.No. 7, for the entries in column (2) and column (3), the entries "27011210" and "All Goods" shall be substituted respectively;
- (iii) after S. No. 7 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7A.	27011290	All goods	0	1.5
7B.	27011910	All goods	0	0".

II. in Table IV, -

- (i) against S. No. 1, for the entries in column (2) and column (3), the entries "52010024, 52010025" and "Cotton of minimum 28 mm staple length" shall be substituted respectively.

[F. No. CBIC-190354/62/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No.62/2022-Customs, dated the 26th day of December, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 904(E), dated the 26th day of December, 2022, and was last amended vide notification No. 36/2023-Customs, dated the 29th day of April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 333(E), dated the 1st day of May, 2023.